



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012020-215626
CG-DL-E-21012020-215626

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]
No. 268]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 21, 2020/माघ 1, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 21, 2020/MAGHA 1, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2020

का.आ. 279(अ).—केंद्रीय सरकार, मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4 और नियम 5 के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सचिव, मसाला बोर्ड को मसाला बोर्ड के सदस्य के रूप में वाणिज्य विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त करती है और इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की तत्कालीन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 123(अ), तारीख 26 फरवरी, 1987 द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के उप-खंड (i) के अधीन नियुक्त

5.	सचिव, मसाला बोर्ड वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग	सदस्य (मसाला बोर्ड के सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल मसाला बोर्ड
----	--	---

मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि के रूप में।	में उनके कार्यकाल की अवधि के लिए को-टर्मिनस आधार पर या अगले आदेशों तक, उनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगा।)
--	--

[फा. सं. 5/1/2017-बागान-घ]

दिवाकर नाथ मिश्र, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 123(अ), तारीख 26 फरवरी, 1987 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात उसमें निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधन किए गए :

- (1) का.आ. 1159(अ), तारीख 21.07.2006;
- (2) का.आ. 424(अ), तारीख 04.03.2008;
- (3) का.आ. 2161(अ), तारीख 05.09.2008;
- (4) का.आ. 937(अ), तारीख 08.04.2009;
- (5) का.आ. 3081(अ), तारीख 03.12.2009;
- (6) का.आ. 32(अ), तारीख 07.01.2010;
- (7) का.आ. 1439(अ), तारीख 15.06.2010;
- (8) का.आ. 8(अ), तारीख 03.01.2011;
- (9) का.आ. 501(अ), तारीख 10.03.2011;
- (10) का.आ. 327(अ), तारीख 03.02.2014;
- (11) का.आ. 3424(अ), तारीख 11.07.2018;
- (12) का.आ. 1881(अ), तारीख 29.05.2019

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2020

S.O. 279 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986) read with rules 4 and 5 of the Spices Board Rules, 1987, the Central Government hereby appoints the Secretary, Spices Board as Member of Spices Board to represent Department of Commerce and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Commerce notification number S.O. 123(E), dated the 26th February, 1987, namely:-

In the said notification, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“Appointed under sub-clause (i) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 4

5.	Secretary, Spices Board as representative of Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi.	Member (His tenure as Member of the Spices Board shall be co-terminus with his tenure in the Spices Board or until further orders, whichever is earliest)”.)
----	--	---

[F.No. 5/1/2017-Plant-D]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide notification number S.O 123 (E), dated the 26th February, 1987 and subsequently amended by the following numbers:

- (1) S.O. 1159(E), dated 21.07.2006;
- (2) S.O. 424(E), dated 04.03.2008;
- (3) S.O. 2161(E), dated 05.09.2008;
- (4) S.O. 937(E), dated 08.04.2009;
- (5) S.O. 3081(E), dated 03.12.2009;
- (6) S.O. 32(E), dated 07.01.2010;
- (7) S.O. 1439(E), dated 15.06.2010;
- (8) S.O. 8(E), dated 03.01.2011;
- (9) S.O. 501(E), dated 10.03.2011;
- (10) S.O. 327(E), dated 03.02.2014;
- (11) S.O. 3424(E), dated 11.7.2018;
- (12.) S.O. 1881(E), dated 29.05.2019.